अपील संख्या 14/2025 उनवान– हरदयाल बनाम देवराज वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या –14/2025

<u>उनवान</u>

1. हरदयाल पुत्र सेडया उर्फ सेडूराम।
2. पप्पू पुत्र सेडया उर्फ सेडूराम (फौत)

   2/1 मुकेश पुत्र पप्पू

   2/2 विजेन्द्र पुत्र पप्पू

   2/3 विनोद पुत्र पप्पू

   2/4 लक्ष्मा देवी पत्नी पप्पू

   2/5 मंजू पुत्री पप्पू

   समस्त जाति बैरवा निवासी सिकराय तह0 सिकराय हालवासी लांका तह0 बहरावण्डा जिला दौसा राज0।
3. कमला देवी पुत्री सेडया उर्फ सेडूराम जाति बैरवा निवासी सिकराय तहसील सिकराय हालवासी लांका तह0 बहरावण्डा जिला दौसा पत्नी लल्लूराम बैरवा निवासी श्यामलाल पापडदा, जिला दौसा।
4. मिश्री देवी पुत्री सेडया उर्फ सेडूराम जाति बैरवा निवासी सिकराय तहसील सिकराय हालवासी लांका तहसील बहरावण्डा जिला दौसा पत्नी कन्हैया लाल बैरवा निवासी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली राज0 ।

बनाम

अपीलाण्ट

बनाम

1. देवराज पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द
2. दीपक उर्फ दीपू पुत्र कैलाश
3. सोनू पुत्र कैलाश
4. संतरा देवी पत्नी कैलाश
5. पूजा पुत्री कैलाश
6. अमित पुत्र अमरचंद

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

7. ज्योति पुत्री अमरचंद
8. रूक्मणी देवी पत्नी अमरचंद
9. मोहन पुत्र मूल्या उर्फ मूलचंद
10. शिम्भूदयाल पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द
11. सुशीला पुत्री मूल्या उर्फ मूलचन्द
12. कमली पुत्री मूल्या उर्फ मूलचन्द
13. जीना देवी पत्नी दीपक कुमार

समस्त जाति बैरवा निवासी सिकराय तह0 सिकराय जिला दौसा।

14. ग्राम पंचायत कुण्डेरा डूंगर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कूण्डेरा डूंगर पंचायत समिति सिकराय तह0 सिकराय जिला दौसा।
15. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कूण्डेरा डूंगर तहसील सिकराय जिला दौसा।
16. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 11.04.1960 ग्राम पंचायत कुण्डेरा डूंगर तह0 सिकराय जिला दौसा।

अपीलाण्ट की ओर से श्री सुनील कुमार गुप्ता एड0

रेस्पोडेण्ट की ओर से श्री धर्मसिंह बैरवा एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक** 30/12/2025

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध नामान्तकरण इस आशय की पेश की गई है कि अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 13 एक ही परिवार, एक ही कुटुम्ब के सदस्य है, सजरा खानदान अनुसार रामबक्स के पुत्र विशन्या हुआ एवं विशन्या के दो पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द एवं सेडया उर्फ सेडूराम हुए। सेडया उर्फ सेडूराम के वारिस अपीलाण्ट है तथा मूल्या उर्फ मूलचन्द के वारिस रेस्पोडेण्ट है। पक्षकारान अपील अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 13 की पैतृक भूमि ग्राम सिकराय डूंगर में स्थित है जिसकी खातेदारी संवत 2012 से 2015 में बिशन्या पुत्र रामबक्स जाति चमार(बैरवा) के नाम आराजी खसरा नम्बर 10, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 व 38 कुल किता 10 कुल रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा स्थित थी। विशन्या की मृत्यू सन 1958 में हो गई। उसकी मृत्यु के बाद अपीलांट के पूर्वज

उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

सेडया उर्फ सेडूराम के साथ मूल्या उर्फ मूलचन्द व उसकी पत्नी कलह करते थे जिसके कारण सेडया उर्फ सेडूराम अपने मामा जो कि लांका में रहते थे के पास रहने लग गया तथा धीरे–धीरे वहीं पर अपना निवास बना लिया तथा मामाओं के द्वारा मूल्या उर्फ मूलचन्द से उसका राजीनामा करवा कर उक्त कृषि भूमि की उपज का मूल्यांकन कर हिस्सा 1/2 को हर वर्ष उसे दे दिया करते थे तथा धीरे धीरे यह हिसाब 2–3 वर्ष में होने लग गया चूंकि फसल का हिस्सा वह समय समय पर दे दिया करता था इसलिए कभी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड नहीं देखा किन्तु उक्त मूल्या उर्फ मूलचन्द जो कि प्रारम्भ से ही बेईमान था तथा गुपचुप तरीके से तत्कालीन तहसीलदार हल्का पटवारी एवं सरपंच से मिलकर एक फर्जी नामान्तकरण संख्या 15 ग्राम सिकराय डूंगर का भरवा लिया जो कि बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के स्वीकार किये ही उसका अवैध तरीके से उसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा लिया था जिसकी अपीलाण्ट एवं उनके पूर्वजों को कभी कोई जानकारी नहीं हुई थी। उक्त नामान्तकरण एवं उसके आधार पर किये गये राजस्व रिकॉर्ड में अमल बमुकाबले अपीलांट प्रारम्भतः ही शून्य एवं अप्रभावी है। उक्त वर्णित साबिक भूमि के दौराने बन्दोबस्त सन 2008 के खसरा नम्बर 13, 15, 17, 21, 24, 25, 27, 35, 37 कुल किता 9 कुल रकबा 2.43 है0 एवं खसरा नम्बर 16, 26 कुल किता 2 कुल रकबा 1.67 है0 वाके रामा सिकराय डूंगर तहसील सिकराय जिला दौसा राज0 जो कि वर्तमान में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 14 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड अवैध विरासत से है। नामान्तकरण संख्या 16 तस्दीक ग्राम पंचायत कूण्डेरा डूंगर जो कि विशन्या उर्फ विशना की विरासत का खोला गया है वह उसके एक मात्र नामान्तकरण संख्या 16 की पुस्त पर दो अंगुठो के निशान लगाकर "जबकि उक्त अंगूठा निशानी किसकी है का अंकन नहीं किया गया है" के आधार पर केवल मात्र उसके एक पुत्र के नाम साजिशन तस्दीक किया गया है जबकि मृतक के उक्त दिवस को उसके वैध वारिस के दो पुत्र थे इसलिए नामान्तकरण संख्या 16 जो कि अकेले मूल्या पुत्र विशन्या के नाम खोला गया है प्रारम्भतः ही शून्य एवं गलत होने से निरस्तनीय है। नामान्तकरण संख्या 16 विधिक प्रकिया एवं न्याय के नैसर्गित सिद्वान्तो के विरूद्ध जाकर तत्कालीन तहसीलदार हल्का पटवारी गिरदावर एवं सरपंच कुण्डेरा डुंगर से मिलकर गुपचुप तरीके से तथा अपीलांट के पूर्वज सेडया उर्फ सेडूराम को इसकी जानकारी न हो सके इसलिए जो नामान्तकरण दिनांक 26.04.1959 को भरकर जांच कर दी गई थी को पूरे एक वर्ष पश्चात दिनांक 11.04.1960 को तस्दीक किया गया है जिससे उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने में बेईमानी की गई है एवं बेईमानी एवं जालसाजी कर अकेले मूल्या उर्फ मूलचन्द के नाम तस्दीक किया गया है यह भली–भांति साबित है। लिहाजा इस कारण से एवं मिन अपीलाण्ट के साथ घोर अन्याय होने से काबिल निरस्त है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेण्ट से उनके पूर्वज के द्वारा किये गये फर्जीवाडे के बारे पता चलने पर एवं आनलाईन जमाबंदी निकलवाने पर

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेण्ट से दिनांक 06.06.2025 को बताया और दिनांक 14.07.2025 को अपीलांट द्वारा रेस्पोडेण्ट से कहने पर भूमि नाम करवाने एवं तकास्मा करवाने से मना कर दिया। इसलिए अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 16 ग्राम सिकराय डूंगर दिनांक 11.04.1960 निरस्त फरमाया जाकर इसके साथ उक्त अवैध नामान्तकरण के आधार पर किये गये पश्चातवर्ती समस्त अवैध हस्तान्तरण एवं इन्द्राजों को जो कि अपीलाण्ट के हकों के विपरीत है को निरस्त फरमाया जाकर विधिनुसार एवं हक हिस्सेनुसार मृतक बिशन्या पुत्र रामबक्स के वैध वारिसान के हक में भरकर तस्दीक किये जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जावे।

अपील अपीलाण्ट दर्ज कर रेस्पोडेण्ट की तलबी विधिवत जारी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मसिंह बैरवा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, मूल नामान्तकरण तहसीलदार सिकराय से तलब किया गया। तत्पश्चात उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया की अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट बिशन्या पुत्र रामबक्श के वारिस है बिशन्या के दो पुत्र मूल्या एवं सेडया हुए। सेडया अपने पिता बिशन्या की मृत्यु के पश्चात ग्राम लांका में अपने मामा के पास रहने लग गया। तत्पश्चात सेडया के भाई मूल्या पुत्र बिशन्या द्वारा बिना सेडया को सूचना किए विवादित भूमि का नामांतकरण अपने हक में करवा लिया जबकि कानूनन उक्त भूमि में सेडया पुत्र बिशन्या का भी हिस्सा 1/2 था। लेकिन मूल्या एवं राजस्व कर्मचारीयों द्वारा न तो प्रश्नगत नामांतकरण की जानकारी सेडया को होने दी न ही सेडया की हिस्से की भूमि का नामांतकरण सेडया के हक में खोला गया बल्कि संपूर्ण भूमि का नामांतकरण मूल्या ने ही अपने हक में खुलवा लिया। उक्त नामांतकरण बिना किसी सक्षम प्रधाकारी के स्वीकार किए ही उसका अवैध तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया जिसकी अपीलाण्ट एवं उनके पूर्वजों को कभी कोई जानकारी नहीं हुई थी। उक्त नामांतकरण पर किसी सक्षम प्राधिकारी की सील भी नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त नामांतकरण फर्जी एवं अवैध है। इसलिए उक्त नामांतकरण प्रारंभतः ही शून्य एव अप्रभावी है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार की जावें क्योंकि प्रार्थी गण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जानबूझ कर देरी नहीं की है तथा बिना विधिक प्रक्रिया के अनुसरण के अवैध रूप से किये गये आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील की जा सकती है। इसलिए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावें। नामान्तकरण संख्या 16 ग्राम सिकराय डूंगर दिनांक 11.04.1960 निरस्त फरमाया जाकर इसके साथ उक्त अवैध नामान्तकरण के आधार पर किये गये पश्चातवर्ती समस्त अवैध हस्तान्तरण एवं इन्द्राजों को जो कि अपीलाण्ट के हकों के विपरीत है को निरस्त फरमाया जाकर विधिनुसार एवं हक हिस्सेनुसार मृतक बिशन्या पुत्र रामबक्स के वैध

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

वारिसान के हक में भरकर तस्दीक किये जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से अधि0 द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि अपीलाण्ट की अपील घोर विलंब से पेश कि गई है जो चलने योग्य नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा बिशन्या के फर्जी वारिस बनकर अपील पेश की है। अपीलाण्ट बिशन्या के वारिस नहीं है। प्रश्नगत अपील महज रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि को हडपने की नियत से पेश की गई है जो चलने योग्य नहीं है इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण का मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं विवादित भूमि के संबंध में ही अपीलाण्ट द्वारा पेश वादपत्र बाबत उद्घोषणा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मु0न0 123/2025 उनवानी प्रकरण हरदयाल बनाम देवराज वगै0 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादित नामांतकरण संख्या 16 वर्ष 1960 में दर्ज किया गया है जिसके विरूद्ध अपील वर्ष 2025 में पेश कि गई है। ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या 1960 के नामांतकरण के विरूद्ध 2025 में पेश कि गई अपील समयबद्ध है, क्या नामांतकरण आदेश पर इतने लम्बे समय पश्चात प्रश्न उठाया जा सकता है तथा स्वयं अपीलकर्तागण द्वारा अपील से भी पूर्व से विचाराधीन उद्घोषणावाद लम्बित होने की स्थिति में भी क्या अपीलकर्ता को यह अपील बनाये रखने का अधिकार है।

यह अपील अपीलाण्ट द्वारा लगभग 65 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई है। जिसके लिए कोई संतोषजनक कारण पेश नहीं किया गया है। केवल यह कहना कि अधिकार का ज्ञान बाद में हुआ कानूनन स्वीकार नहीं है।

अपीलकर्ता द्वारा अलग से उद्घोषणावाद पेश किया गया है जो लम्बित है। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस आधार पर पेश की गई है कि अपीलाण्ट तत्कालीन खातेदार बिशन्या के विधिक वारिशान है जिसके समर्थन में अपीलाण्ट द्वारा गंगागुर एवं जागा द्वारा लिखित वंशावली तथा वोटर लिस्ट डूंगर सिकराय सन् 1958 पेश कि है। इस प्रकार अपीलाण्ट बिशन्या के विधिक वारिसाान के आधार पर भूमि में हक अधिकार चाहते है। नामांतकरण अपील केवल रिकॉर्ड प्रविष्टि है टाईटल का अंतिम निर्धारण नही। जब अपीलाण्ट स्वयं अपने हक अधिकार उद्घोषणावाद में तय करवाना चाहते है तथा अपील उद्घोषणावाद के बाद में पेश की गई है इसलिए यह अपील दोहरे उपाय/पैरेलल रेमेडी की श्रेणी में आता है। नामांतकरण कार्यवाही एवं उससे संबंधित अपील सिर्फ राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टि तक सीमित होती है। किसी व्यक्ति का मूल खातेदार का वारिस होना, वंशावली पारिवारिक संबंध, अधिकार तथा कब्जे जैसे तथ्य वाद पत्र में साक्ष्य सबूत लिया जाकर ही निर्णित किए जा सकते है। इसलिए अपीलाण्ट एवं उनके पूर्वजों का बिशन्या का वारिस होना साक्ष्य का विषय हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

अपील संख्या 14/2025 उनवान– हरदयाल बनाम देवराज वगै0

न्यायालय यह पाता है कि अपीलकर्ता के द्वारा स्वयं पृथक से उद्घोषणा का मूल वाद पेश किया गया है। जिसमें अपीलाण्ट का बिशन्या का वारिस होना अथवा अधिकार का प्रश्न साक्ष्य सबूत के आधार पर विधिवत रूप से तय किया जायेगा। उक्त प्रश्न का निर्धारण इस नामांतकरण अपील में तय करना न तो संभव है न ही विधिसम्मत है।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलाण्ट का बिशन्या का वारिस होना मूल उद्घोषणा वादपत्र में साक्ष्य/दस्तावेजात एवं जिरह परिक्षण के उपरान्त ही तय किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील विरूद्ध नामांतकरण सं0 16 खारिज की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा